

राजस्थानसरकार
निदेशालयकोपाएवंलेखाराजस्थानजयपुर
"वित्तभवन" जनपथ, जयपुर - 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ईमेल : aao2.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- F3(ख)(1)अलेसे । / 86

दिनांक :- 06.05.2021

संशोधित आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 524 दिनांक 01.05.2021 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

क. सं.	पूर्व सर्वश्री	नाम	पूर्व नाम के स्थान पर सर्वश्री	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय का नाम	सेकिण्डमेन्ट पर कार्य करने वाले विभाग का नाम
1	3		4	5	6
1	नरेश कुमार जैमन, (लिंक नम्बर 2512) सलेअ-प्रथम	कुमार (लिंक नम्बर 9180) मो.न. 9114878922	महेन्द्र कुमार शर्मा, सलेअ-II (लिंक नम्बर 9180) मो.न. 9114878922	प्रभारी आन्तरिक जांच दल निरीक्षण विभाग जयपुर	प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन, जयपुर
2	रविन्द्र बैरवा, सलेअ-प्रथम (लिंक नम्बर 2108)	वैरवा, सलेअ-प्रथम (लिंक नम्बर 2108)	भवानी सिंह शेखावत, सलेअ-II (लिंक नम्बर 9715) मो.न. 946038725	निदेशक निरीक्षण विभाग जयपुर	प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन, जयपुर

उपरोक्त अधीनस्थ लेखा सेवा के कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे अविलम्ब अपने वर्तमान कार्यालय से कार्यमुक्त होकर कॉलम संख्या 06 में अंकित विभाग/कार्यालय में अपनी उपस्थिति दिया जाना सुनिश्चित करें ।

उक्त आदेश निदेशक महोदय से अनुमोदित है ।


(भवानी सिंह मीणा)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)

क्रमांक :- F3(ख)(1)अलेसे । / 86

दिनांक :- 06.05.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

- 1 संयुक्त शासन सचिव , वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
- 2 संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें , जयपुर ।
- 3 प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन, जयपुर ।
- 4 संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....को भेजकर लेख है कि संबंधित कार्मिकों को वर्तमान में विषम कोविड-19 परिस्थितियों के मध्यनजर तत्काल कार्यमुक्त कराने की व्यवस्था करने का श्रम करावें । यह अतिमहत्वपूर्ण कार्य अधीनस्थ लेखा सेवा के कार्मिकों की कमी के कारण यदि इसमें किसी प्रकार कोई समस्या उत्पन्न होगी तो उसकी जिम्मेदारी इस निदेशालय की नहीं होगी ।
- 5 श्री.....सलेअ-II कार्यालय
- 6 उपनिदेशक, (एसीपी) को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु ।
- 7 निजी सचिव, निदेशक महोदय ।
- 8 रक्षित पत्रावली ।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)